संख्या:308/2015/2313/35-4-2015

प्रेषक ,

जे.बी. सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:04 नवम्बर,2015

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फिरोजाबाद में शासनादेश संख्या:46/2015/149/35-4-2015 दिनांक 05 फरवरी,2015 द्वारा न्यायिक परिसर में अधिवक्ताओं के 100 चौम्बर्स निर्माण कार्य की लागत रू. 382.01 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 191.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू. 388.79 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 फरवरी,2015 की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
3- इस शासनादेश से प्रश्नगत कार्य की लागत को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का उपयोग करते हुये नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति शासनादेश की अनुपालन आख्या उपलब्ध होने पर नियमानुसार अवशेष/देय धनराशि अवमुक्त करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।
4- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यक्तानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/पुनरीक्षित स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।
8- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/पुनरीक्षित स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2014-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:308/2015/2313(1)/35-4-2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/न्याय विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- जनपद न्यायाधीश,फिरोजाबाद।
7- मण्डलायुक्त, आगरा।
8- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
9- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10-प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
11-वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
12-गार्ड फाईल।
13-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14-राज्य योजना आयोग-1
15-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद।

आज्ञा से ,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in